



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 20 अप्रैल, 2010 / 30 चैत्र, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 9 अप्रैल, 2010

संख्या: वि०स०-लैज-गवरनमैंट बिल/१-१५/२०१०।—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-5) जो आज

दिनांक 9 अप्रैल, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व—साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिं0 प्र0 विधान सभा ।

**हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास
(संशोधन) विधेयक, 2010**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इक्सटर्वे वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक संक्षिप्त नाम। धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

2. हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास नई धारा 12 का 1984 का 18 अधिनियम, 1984 की धारा 12 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की 12-क का अन्तःस्थापन। जाएगी, अर्थात् :—

“12-क. हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के सोने और चाँदी का अन्यसंक्रामण।—(1) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों द्वारा सोने और चाँदी के विभिन्न प्रकारों में प्राप्त श्रद्धालुओं के चढ़ावे को उपधारा (2) के अधीन गठित समिति के अनुमोदन के पश्चात् शोधित, विनिहित और व्ययनित करवाया जाएगा। सोने और चाँदी को खान और खनिज व्यापारिक निगम, मुम्बई से शोधित करवाया जाएगा और उसका निवेश तथा व्ययन, निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) सोना :

(i) दस प्रतिशत सोना मन्दिर से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाया जाएगा;

- (ii) बीस प्रतिशत सोने का निवेश भारतीय स्टेट बैंक की “रवर्ण बॉन्ड स्कीम” में किया जाएगा; और
- (iii) सत्तर प्रतिशत सोना मन्दिर में आरक्षित (रिजर्व) रखा जाएगा।

(ख) चाँदी :

- (1) बीस प्रतिशत चाँदी मन्दिर के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाई जाएगी;
- (ii) बीस प्रतिशत चाँदी मन्दिर में आरक्षित (रिजर्व) रखी जाएगी; और
- (iii) साठ प्रतिशत चाँदी को सिक्कों में परिवर्तित किया जाएगा और उनका तत्समय विद्यमान चालू बाज़ार कीमत पर श्रद्धालुओं तथा तीर्थ यात्रियों को विक्रय किया जाएगा।

(2) सोने और चाँदी के शोधन और उनके व्ययन के लिए अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए आयुक्त (मन्दिर) द्वारा समिति गठित की जाएगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- (i) सम्बद्ध आयुक्त (मन्दिर) — अध्यक्ष;
- (ii) मन्दिर न्यास का शासकीय सदस्य — सदस्य;
- (iii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो गैर-सरकारी सदस्य
- (iv) सम्बद्ध जिला परिषद् का अध्यक्ष — सदस्य;
- (v) सम्बद्ध पंचायत समिति का अध्यक्ष — सदस्य;
- (vi) सम्बद्ध जिला भाषा अधिकारी — सदस्य; और
- (vii) सम्बद्ध मन्दिर का मन्दिर अधिकारी — सदस्य—सचिव।

(3) गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि, अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष होगी, तथापि गैर-सरकारी सदस्य को राज्य सरकार द्वारा, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय हटाया जा सकेगा।

(4) गैर-सरकारी सदस्य, समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और अनुदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा। यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मन्दिर अधिकारी द्वारा, सम्बद्ध मन्दिर की आय में से संदर्भ किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन गठित समिति के कृत्यों के अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) और पर्यवेक्षण के लिए प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति) एवं मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- (i) मुख्य आयुक्त (मन्दिर) — अध्यक्ष;
- (ii) निदेशक (भाषा एवं संस्कृति) — सदस्य; और हिमाचल प्रदेश
- (iii) वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि, — सदस्य। ”। जो संयुक्त सचिव या इससे ऊपर की पंक्ति का होगा

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984, हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के बेहतर प्रशासन के लिए और ऐसी संस्थाओं और विन्यासों की सम्पत्ति के संरक्षण तथा परिरक्षण का उपबन्ध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था। मन्दिरों के आयुक्त ने राज्य सरकार के ध्यान में लाया है कि सोने और चाँदी की काफी मात्रा मन्दिर न्यासों के स्टॉक में निष्कार्य पड़ी है और पूर्वोक्त अधिनियम में ऐसे निष्कार्य सोने और चाँदी के स्टॉक के व्ययन तथा उसके विक्रय आगमों को उपयोग में लाने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। इन संस्थाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार किया गया और यह आवश्यक समझा गया कि मन्दिर न्यासों के स्टॉक में निष्कार्य सोने और चाँदी को पारदर्शी रीति में पिघलाने और उनके व्ययन के लिए तथा ऐसे सोने और चाँदी के व्ययन के परिणामस्वरूप प्राप्त विक्रय आगमों के बेहतर उपयोग के लिए, पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध किए जाएं। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप में संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला—171 002

तारीख : 2010

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

Bill No. 5 of 2010

**THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS
INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS
(AMENDMENT) BILL, 2010**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Act, 2010. Short title.

2. After section 12 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984, the following section shall be inserted, namely :— Insertion of new section 12-A.

“12-A. Alienation of gold and silver of Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments.—(1) The offerings of devotees received in the shape of various varieties of gold and silver by the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments shall be caused to be purified, invested and disposed of after the approval of the Committee constituted under sub-section(2). The gold and silver shall be caused to be purified from the Mines and Minerals Trading Corporation, Mumbai and shall be invested and disposed of in the following manner, namely :—

(A) Gold :

(i) 10 per cent gold shall be used for the various activities related to temples;

- (ii) 20 per cent gold shall be invested in the “GOLD BOND SCHEME” of the State Bank of India; and
- (iii) 70 per cent gold shall be kept reserved in the temples.

(B) Silver :

- (i) 20 per cent silver shall be used for the various temple activities;
- (ii) 20 per cent silver shall be kept reserved in the temples; and
- (iii) 60 per cent silver shall be converted into silver coins and shall be sold to the devotees and pilgrims on the current market price prevailing at that time.

(2) For the purpose of grant of approval for purification of gold and silver and their disposal, a Committee shall be constituted by the Commissioner (Temple) which shall consist of the following members, namely :—

- (i) Concerned Commissioner (Temple) — Chairman;
- (ii) Official member of the Temple Trust — member;
- (iii) Two non-official members, to be nominated by the State Government — member;
- (iv) Chairman of Zila Parishad concerned — member;
- (v) Chairman of Panchayat Samiti concerned — member;
- (vi) Concerned District Language Officer — member; and
- (vii) Temple Officer of the temple concerned — Member-Secretary.

(3) The tenure of the non-official members shall be two years from the date of notification, however, a non-official member may be removed by the State Government at any time before expiry of his tenure for the reasons to be recorded in writing.

- (4) A non-official member shall be entitled to the travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Committee in accordance with rules and instructions issued by the State Government from time to time and the same shall be payable from the income of the temple concerned by the Temple Officer.
- (5) There shall be a State Level Coordination Committee, to be constituted by the Principal Secretary (LAC)-cum-Chief Commissioner (Temples), to monitor and supervise the functions of the Committee constituted under sub-section (2). The committee shall consist of the following members, namely :—
 - (i) Chief Commissioner (Temple) — Chairman;
 - (ii) Director (Language & Culture), — Member; and Himachal Pradesh
 - (iii) One representative of the Finance Department who shall be in the rank of Joint Secretary or above — Member.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 was enacted with a view to provide for the better administration of Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments and for protection and preservation of properties of such institutions and endowments. The Commissioner of temples have brought to the notice of the State Government that considerable amount of gold and silver is lying idle in the stock of the temple trusts and there is no provision in the Act *ibid* for disposal of such idle stock of gold and silver and for the utilization of the sale proceeds thereof. The matter has been considered keeping in view the interest of these institutions and it is felt essential that suitable provisions should be made in the Act *ibid* for melting and disposal of gold and silver lying idle in the stock of temple trusts in a transparent manner and for the better utilization of the sale proceeds received as a result of disposal of such gold and silver. As such, it has been decided to amend the Act *ibid* suitably.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Shimla:

The , 2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—